

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक: एफ. वी. 9(1)(4) (12) स्था/ब/संबल/ समेकित/2021/ 5914

दिनांक: 19/09/2022


—:आदेश:—

राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 के नियम 25 के प्रावधान अनुसार पशुपालन विभाग में जिला जैसलमेर, चित्तौडगढ, बाडमेर, पाली, बीकानेर, उदयपुर, राजसमंद, जालौर, जोधपुर, सिरोही, झालावाड, चूरु, सवाई माधोपुर, कोटा, अजमेर, धौलपुर एवं बांरा में आवश्यक अस्थायी आधार (Urgent Temporary Basis) पर 300 पशुधन सहायकों की नियत पारिश्रमिक पर राशि रूपये 17700/- प्रति माह की दर से तीन माह के लिये नियुक्तियों हेतु चयन बाबत जिला स्तर पर संबंधित जिला कलेक्टर के द्वारा जिले में निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध चयन हेतु अल्पकालीन विज्ञप्ति प्रकाशित कर आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्मिकों का चयन किया जावेगा।

चयन उपरान्त संबंधित जिला संयुक्त निदेशक रिक्तियों के आधार पर आवश्यकता अनुरूप कार्मिकों के पदस्थापन हेतु जिला कलेक्टर से समन्वय स्थापित कर पदस्थापन आदेश जारी करवायेगें।

संबंधित जिला कलेक्टर अल्पकालीन विज्ञप्ति प्रकाशित कर निर्धारित दिनांक 30 सितम्बर 2022 को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 5.00 बजे तक, निर्धारित मार्गदर्शिका अनुरूप (प्रति संलग्न) आवेदन प्राप्त कर चयन प्रक्रिया पूर्ण कर, मैरिट अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार कर पदस्थापन आदेश जारी करेगे।


संलग्न: उक्तानुसार।


(पी.सी. किशन)
शासन सचिव

क्रमांक: एफ. वी. 9(1)(4) (12) स्था/ब/संबल/ समेकित/2021/ 5915-60 दिनांक: 19/09/2022

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जिला जैसलमेर, चित्तौडगढ, बाडमेर, पाली, बीकानेर, उदयपुर, राजसमंद, जालौर, जोधपुर, सिरोही, झालावाड, चूरु, सवाई माधोपुर, कोटा, अजमेर, धौलपुर एवं बांरा को पालनार्थ।
5. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर।
6. संभागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर एवं अजमेर।
7. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जैसलमेर, चित्तौडगढ, बाडमेर, पाली, बीकानेर, उदयपुर, राजसमंद, जालौर, जोधपुर, सिरोही, झालावाड, चूरु, सवाई माधोपुर, कोटा, अजमेर, धौलपुर एवं बांरा
8. रक्षित पंजिका।


शासन सचिव

आवश्यक अस्थाई आधार (Urgent Temporary Basis) पर
पशुधन सहायकों की चयन हेतु मार्गदर्शिका

1. प्रार्थी का मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा आवेदन की तिथि से पूर्व उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
2. आवेदक 01.06.2002 को या इसके पश्चात तीसरी संतान होने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
3. आवेदन की तिथि को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/महिलाओं (विधवा एवं परित्यक्ता महिला सहित) को नियमानुसार आयु सीमा में छूट देय होगी।
4. आवेदन पत्र के साथ प्रार्थी को सम्बन्धित शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका (10वीं, 12वीं, तथा डिप्लोमा)/जाति प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र/(आवेदन की तिथि) की सत्यापित प्रतियां एवं पृथक राजपत्रित अधिकारियों से लिये गये दो चरित्र प्रमाण पत्र, जो 6 माह से पूर्व के नहीं हों, मूल रूप में संलग्न करना आवश्यक है। मूल आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेज एवं 2 अतिरिक्त सेट (फोटो प्रति) जमा कराना आवश्यक होगा।
5. चयनित अभ्यर्थियों को नियत पारिश्रमिक के रूप में रुपये 17700/- प्रतिमाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता/वार्षिक वेतन वृद्धि/वरिष्ठता आदि का लाभ देय नहीं होगा।
6. अभ्यर्थी का पदस्थापित जिले से अन्यत्र जिले में स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।
7. चयनित पशुधन सहायक को किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
8. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.10.2013 के अनुसरण में अभ्यर्थी द्वारा धूम्रपान एवं गुटका सेवन नहीं करने का वचनबंध (Undertaking) दिया जाना आवश्यक होगा।
9. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2006 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में आवेदक से विवाह पंजीकरण की सूचना/दहेज नहीं लिये जाने का शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।
10. प्रार्थी को निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (राशि रुपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प एवं नोटरी द्वारा प्रमाणित)
11. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 5 दिवस की अवधि में पद स्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति देनी होगी। अन्यथा उसका चयन/नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त मानते हुये प्रतीक्षा सूची से अन्य योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी जावेगी। जिस पर किसी भी प्रकार का आक्षेप मान्य नहीं होगा।
12. पूर्व से पशुपालन विभाग में आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत कार्मिक इस भर्ती हेतु पात्र नहीं होंगे, आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत कार्मिक द्वारा आवेदन किये जाने पर उनको भविष्य में होने वाली नियमित भर्ती हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
13. चयन का आधार पूर्णतया मैरिट होगा। चयन हेतु संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा। चयन हेतु निर्धारित योग्यता एवं चयन का आधार निम्नानुसार रहेगा :-
निर्धारित योग्यता- सीनियर सैकण्डरी एवं राजूवास से संबद्धता प्राप्त संस्थानों से दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा।
चयन का आधार- चयन का आधार पूर्णतया मैरिट होगा जो कि सीनियर सैकण्डरी एवं पशुपालन डिप्लोमा का औसत होगा(दशमलव के दो स्थान तक)।

आवेदन पत्र

आवश्यक अस्थायी आधार पर पशुधन सहायक के पद बाबत नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का
नवीनतम पासपोर्ट
साईज फोटो

1. आवेदित जिले का नाम.....
2. आवेदित श्रेणी (General/SC /ST/BC /MBC/ EWS / महिला /विधवा/ परित्यक्ता).....
3. आवेदक का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी में)
4. पिता /पति का नाम (हिन्दी में).....
(अंग्रेजी में).....
5. जन्म दिनांक दिनांक 30.09.2022 को आयु

6. लिंग (महिला/ पुरुष)
7. जाति संवर्ग (General/SC /ST/BC /MBC/ EWS /etc).....
8. शैक्षणिक विवरण

क्रम सं.	कक्षा	बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	12th					
2	AHDP					

9. गृह जिला
10. स्थायी निवास का पता
11. पत्र व्यवहार का पता मय मोबाईल नंबर/ई-मेल एड्रेस.....
12. 01.06.2002 को जीवित संतान की संख्या.....
13. विवाह पंजीयन की तिथि एवं पंजीयन कार्यालय का विवरण.....

मैं यह निष्ठा पूर्वक प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त प्रपत्र में दर्शाई गई समस्त सूचनाएँ पूर्णतया सत्य है एवं मैं किसी दण्डनीय अपराध अथवा अनैतिक कृत्यों के लिए आज दिनांक तक कभी भी दण्डित नहीं हुआ हूँ। मैं अपना आवेदन जिला में पशुधन सहायक के रिक्त पद के लिए नियत पारिश्रमिक के आधार पर अस्थायी नियुक्ति हेतु कर रहा हूँ। निर्धारित शपथ-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न हैं।

संलग्न :- कुल पृष्ठ

दिनांक.....

स्थान.....

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं प्रार्थी का नाम

शपथ पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री आयु.....जाति.....
निवासी.....
जिला..... शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनायें सत्य हैं। शैक्षणिक योग्यता विधि मान्य संस्था से अर्जित किये गये है।
2. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई एवं नियत पारिश्रमिक के आधार पर है। भविष्य में इस नियुक्ति के अधीन, मैं राज्य सरकार से नियमित नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार से हकदार नहीं रहूंगा/रहूंगी।
3. मैं भविष्य में इस नियुक्ति के संदर्भ में विभाग में नियमित नियुक्ति के लिये किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।
4. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.10.2013 के अनुसरण में मैं धूम्रपान एवं गुटका सेवन नहीं करने का वचन देता हूँ।
5. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2006 के अनुसार मैं विवाहित हूँ, मैंने अपना विवाह पंजीकरण करा लिया है तथा विवाह में मैंने कोई दहेज नहीं लिया है।
6. मैं भविष्य में नियुक्ति के उपरांत किसी भी अन्य स्थान के लिये स्थानांतरण हेतु हकदार नहीं रहूंगा/रहूंगी, ना ही स्थानांतरण के लिए पात्र रहूंगा/रहूंगी, ना ही आवेदन करूंगा/करूंगी।
7. जिस स्थान के लिए मेरा चयन किया जायेगा, मैं उस स्थान के मुख्यालय पर निवास करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीसत्यापित करता/करती हूँ
कि उपरोक्त वर्णित पैरा 01 लगायत 07 मेरी निजी जानकारी में सही एवं सत्य है,
इसमें ना ही कुछ गलत है और ना ही कुछ छिपाया गया है। ईश्वर मेरी मदद
करें।

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

लम्पी की भयावह स्थिति को देखते हुये इन जिलों में ही तीन माह के लिये प्राप्त स्वीकृति अनुरूप 300 पशुधन सहायकों को आवश्यक अस्थायी आधार पर लगाये जाने के क्रम में जिलेवार रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	जिला	आवश्यक अस्थायी आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों की प्रस्तावित संख्या
1	जैसलमेर	18
2	चित्तौड़गढ़	18
3	बाडमेर	33
4	पाली	17
5	बीकानेर	27
6	उदयपुर	52
7	राजसमंद	12
8	जालौर	16
9	जोधपुर	29
10	सिरोही	10
11	झालावाड	8
12	चूरु	14
13	सवाई माधोपुर	12
14	कोटा	12
15	अजमेर	12
16	धौलपुर	6
17	बांरा	6
	योग	300